ANNEXURE – IV

PUBLIC HEARING PROCEEDINGS

मैसर्स चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (सी.एफ.सी.एल.), गड़ेपान, जिला कोटा राजस्थान, द्वारा प्रस्तावित विस्तारीकरण हेतु अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोटा की अध्यक्षता में दिनांक 06.01.2010 को प्रातः 11:00 बजे तहसील कार्यालय दीगोद, तहसील दीगोद, जिला कोटा में आयोजित जन सुनवाई के मिनिट्स

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर के आदेश क्रमांक एफ-12 (25-27)/राप्रनिम/ग्रुप-एक/1321-1326 दिनांक 17.11.2006 एवं जिला कलेक्टर कार्यालय कोटा के पत्र क्रमांक प( )राजस्व-II/09/7457-63 दिनांक 27.11.2009 के तहत दिनांक 06.01.2010 को चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, गड़ेपान, जिला कोटा, राजस्थान, द्वारा प्रस्तावित विस्तारीकरण हेतु श्री पी.सी. पवन, अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोटा की अध्यक्षता में जन सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारीगण एवं आमजन की सूची संलग्न है।

उक्त जन सुनवाई की आम सूचना दैनिक नवज्योति में दिनांक 03.12.2009 एवं दैनिक भास्कर में दिनांक 03.12.2009 को प्रकाशित की गई। प्रति संलग्न है।

सभा स्थल पर दीगोद तहसील से लगभग 100 नागरिक जन सुनवाई में भाग लेने हेतु एकत्र हुए।

श्री राजीव पारीक, क्षैत्रीय अधिकारी (रा.प्र.नि.म., कोटा) ने जन सुनवाई हेतु संक्षेप में पर्यावरण संबंधित जन सुनवाई की प्रक्रिया

एवं उसके उद्देश्यों से सभी को अवगत कराया और सी.एफ.सी.एल. के प्रतिनिधियों से विस्तारीकरण के बारे में सभी को अवगत कराने के लिए आमंत्रित किया।

सुनवाई के प्रारम्भ में सी.एफ.सी.एल. के श्री एस.के. भट्टाचार्य ने विस्तारीकरण प्रोजेक्ट के कॉर्डिनेटर श्री उपेन्द्र सिंह एवं श्री इन्द्रजीत सिंह को मंच पर आमंत्रित किया जिन्होंने विस्तारीकरण के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी दी ।

कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर-कोटा, श्री पी.सी. पवन ने **Water Harvesting, Social responsibility** एवं ग्रामीणों के लिए रोजगार योजनाओं के बारे में सी.एफ.सी.एल. से जानकारी मांगी।

सी.एफ.सी.एल. के प्रतिनिधि ने बताया कि कालीसिंध नदी पर सी.एफ.सी.एल. ने वर्ष 2005 में एनीकट बनवाया, जिसके बाद यहाँ आस-पास के गांवों में भूजल का स्तर काफी बढ़ा है। इस दिशा में निरन्तर प्रयास के अन्तर्गत सी.एफ.सी.एल. ने आई.आई.टी., रूड़की के द्वारा सी.एफ.सी.एल. के प्रांगण के अंदर, **Rain water harvesting** के लिए अध्ययन कराया, जिसके अन्तर्गत **Water recharge wells** का निर्माण कराया गया और आने वाले समय में रिपोर्ट के आधार पर और अधिक **Water recharge wells** का प्रयोग कराया जायेगा ।

परियोजना के निर्माण चरण (3 से 4 वर्ष) के दौरान 3000 से 4000 लोगों के कार्य करने की आवश्यकता पड़ेगी जिसमें स्थानीय लोगो को उनकी काबिलियत के अनुसार प्राथमिकता दी जायेगी।

सी.एफ.सी.एल. के प्रतिनिधि ने बताया कि सी.एफ.सी.एल. ने ग्रामीण विकास के लिए 'उत्तम रोशनी' नामक सी.एस.आर. योजना

के अन्तर्गत अनेकों सामाजिक कार्य किये हैं। सी.एफ.सी.एल. ने दो उत्तम कृषि क्लिनिकों का निर्माण किया है जो क्रमशः नया नोहरा एवं गड़ेपान में स्थित हैं और जिनके माध्यम से मिट्टी एवं जल की मुफ्त जाँच, अच्छी किस्म के बीज एवं सब्जियों की पौध, उध्यानिकी पौध और केंचुए की खाद आस-पास के किसान भाइयों को उपलब्ध करायी जाती है। सी.एफ.सी.एल. आगरा एवं श्रीगंगानगर में कृषि विकास प्रयोगशाला की स्थापना के साथ हाड़ौती में कोटा-बारां-बूंदी-झालावाड़ में भी किसानों के सर्वांगीण विकास की दिशा में कार्य कर रही है। सी.एफ.सी.एल. ग्रामीण स्वरोजगार चिकित्सा और पशुपालन क्षेत्र में निरन्तर अपने सी.एस.आर. कार्य के अन्तर्गत सामाजिक सेवाएं प्रदान कर रही है।

तत्पश्चात् श्री पी.सी.पवन ने उपस्थित सदस्यों, जनप्रतिनिधियों व नागरिकों को सूचित किया कि इस विस्तारीकरण एवं पर्यावरणीय प्रभाव से संबंधित जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हों वे आज की जन सुनवाई में प्राप्त कर सकते हैं।

प्र.1 श्री सुरेश चन्द मीणा, गड़ेपान ने विस्तारीकरण में भूमि अधिग्रहण, स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार के अवसर एवं पेयजल की समस्या के बारे में जानना चाहा?

उ.1 सी.एफ.सी.एल. के प्रतिनिधि ने भूमि अधिग्रहण के बारे में बताया कि इस विस्तारीकरण में अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जायेगा एवं प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक भूमि सी.एफ.सी.एल. के पास उपलब्ध है ।

सी.एफ.सी.एल. के प्रतिनिधि ने आगे बताया कि गड़ेपान में पेयजल की समस्या के निवारण के लिए सी.एफ.सी.एल. ने पी.एच.ई.डी. एवं जिला प्रशासन के साथ मिलकर एक योजना

तैयार की है जिसके द्वारा गड़ेपान गांव को पेयजल उपलब्ध कराया जा सके । इस योजना के तहत होने वाले एकमुश्त व्यय को सी.एफ.सी.एल. द्वारा वहन किया जायेगा। सी.एफ.सी.एल. के प्रतिनिधि ने बताया कि परियोजना को पी.एच.ई.डी., कोटा द्वारा एक्जीक्यूट किया जायेगा एवं इसका संचालन एवं रखरखाव सरकार द्वारा संचालित जे.जे.वाई. पैटर्न स्कीम के तहत प्रशासन द्वारा किया जायेगा।

प्र.2 श्री रामरतन खारोल, बोरखण्डी ने हाड़ौती क्षेत्र में यूरिया खाद की लगातार_ उपलब्धता की मांग की एवं कालीसिंध नदी पर बने एनीकट में डिसिल्टिग के प्रावधान के बारे में जानकारी चाही ?

उ.2 सी.एफ.सी.एल. के प्रतिनिधि ने बताया कि यूरिया खाद की आपूर्ति केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप की जाती है तथा सभी उर्वरक उत्पादकताओं को उसी के अनुरूप यूरिया खाद की आपूर्ति करनी पड़ती है। इसके बावजूद सी.एफ.सी.एल. द्वारा क्षेत्र के किसानों को मांग के अनुसार जिला कलेक्टर साहब से वार्ता करके यूरिया का वितरण allocation से ज्यादा कराया गया है।

एनीकट में सिल्टिग की निगरानी के लिये नियमित अन्तराल में विशेषज्ञों द्वारा निरीक्षण किया जाता है तथा उनके सुझावों के अनुरूप व्यवस्था की जाती है।

प्र.3 श्री हीरालाल चौधरी गांव सीमलिया ने सी.एफ.सी.एल. द्वारा संचालित स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में जानकारी चाही ?

उ.3 सी.एफ.सी.एल. के प्रतिनिधि ने बताया कि सी.एफ.सी.एल. द्वारा स्थानीय लोगों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण, मोबाइल फोन रिपेयरिंग, ऑटो मोबाइल रिपेयरिंग, मोटर रिवाइण्डिंग, इलेक्ट्रीशियन, इनवर्टर रिपेयरिंग इत्यादि कोटा स्थित जनशिक्षण संस्थान, कृषि विज्ञान केन्द्र, आई.आई.टी. जैसी प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों में कराया गया एवं महिलाओं को सिंगर इण्डिया लिमिटेड द्वारा सिलाई प्रशिक्षण और मसाला, पापड़ इत्यादि का प्रशिक्षण जनशिक्षण संस्थान के माध्यम से कराया गया तथा आगे भी सी.एफ.सी.एल. इन प्रशिक्षणों को जारी रखेगा। प्रशिक्षित युवा वर्ग एवं महिलाऐं इन प्रशिक्षणों के उपरान्त आज आत्मनिर्भर हैं।

प्र.4 श्री संजय मालव, मण्डानिया ने सी.एफ.सी.एल. द्वारा संचालित कृषि एवं पशु विकास कार्यक्रमों की जानकारी चाही ?

उ.4 सी.एफ.सी.एल. के प्रतिनिधि ने बताया कि सी.एफ.सी.एल. द्वारा नया नोहरा एवं गडेपान में उत्तम कृषि क्लिनिक स्थापित किये गये हैं जहाँ पर मृदा परीक्षण एवं किसानों को कृषि संबंधित जानकारी निःशुल्क दी जाती है। सी.एफ.सी.एल. द्वारा आकाशवाणी कोटा के माध्यम से प्रत्येक शुक्रवार को प्रातः 08:15 से 08:30 एक कृषि आधारित कार्यक्रम 'उत्तम बंधन तीन सवाल' का प्रसारण किया जाता है जिसमें किसानों को कृषि संबंधित जानकारी दी जाती है एवं उनके समस्याओं के निराकरण के लिये सुझाव दिये जाते हैं। इससे क्षेत्र के सभी कृषक लाभान्वित हो रहे हैं। सी.एफ.सी.एल. द्वारा इसके अतिरिक्त नर्सरी का विकास भी किया गया है जिससे

47

स्थानीय लोगों को अच्छी किस्म के बीज तथा पौधे उपलब्ध कराये जाते हैं। पशु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सी.एफ.सी.एल. द्वारा पशुओं का मुफ्त टीकाकरण गांव-गांव जा कर किया जाता है। बीमार पशुओं का उपचार तथा दवाइयों का वितरण भी सी.एफ.सी.एल. द्वारा निःशुल्क किया जाता है। इसके अलावा पशुओं की नस्ल सुधार के लिए उन्नत किस्म के पशु न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराये जाते हैं।

प्र.5 श्री रामप्रसाद, पोलाई खुर्द ने विस्तारीकरण से ग्रामीणों को होने वाले फायदे के बारे में जानकारी चाही?

उ.5 सी.एफ.सी.एल. के प्रतिनिधि ने माननीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर और रीजनल ऑफिसर, कोटा (श्री राजीव पारीक) द्वारा क्षेत्र की जनता के सर्वांगीण विकास के लिए सुझाए गए उपायों का स्वागत किया तथा बताया कि वह इस दिशा में कार्यरत रहेंगे।

प्र.6 श्री हुकुमचन्द सैनी, बमोरी ने सी.एफ.सी.एल. द्वारा संचालित स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के बारे में जानकारी चाही?

उ.6 सी.एफ.सी.एल. के प्रतिनिधि ने बताया कि सी.एफ.सी.एल. द्वारा वर्ष 2001 से नियमित रूप से आस-पास के गांवों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रहीं है जिसके अन्तर्गत वर्तमान में प्रतिदिन 2 गांवों में यह सुविधा दी जाती है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2001 से 2 लाख से ज्यादा ग्रामीण इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। समय-समय पर निःशुल्क नेत्र परीक्षण एवं मोतियाबिन्द ऑपरेशन शिविर, नसबन्दी शिविर आदि भी आयोजित किये जाते हैं। आवश्यकतानुसार ग्रामीणों को निःशुल्क एम्बूलेन्स सुविधा भी सी.एफ.सी.एल. द्वारा प्रदान की जाती है।

प्र.7 श्री रामप्रसाद मीणा जी ने शिक्षा के क्षेत्र में सी.एफ.सी.एल. के योगदान के बारे में जानकारी चाही ?

उ.7 सी.एफ.सी.एल. के प्रतिनिधि ने बताया कि सी.एफ.सी.एल. द्वारा 'उत्तम रोशनी' कार्यक्रम के तहत स्थानीय विद्यालयों में कमरों के जीर्णोद्धार एवं नवनिर्माण, शौचालयों की व्यवस्था, चारदीवारी इत्यादि कराया जाता है। इसके अतिरिक्त बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ड्रांईग एवं पेंटिग प्रतियोगिता, ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाता है।

प्र.8 श्री सुरेश चन्द मीणा, गड़ेपान ने जानना चाहा कि वर्तमान में हुई सुरक्षा गार्डो की भर्ती में स्थानीय लोगों को क्यों नहीं लिया गया ?

उ.8 सी.एफ.सी.एल. के प्रतिनिधि ने बताया कि यूरिया प्लाण्ट सुरक्षा की दृष्टि से एक संवेदनशील प्लाण्ट होता है जिसमें प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मियों की आवशकता होती हैं अतः अधिकांश सुरक्षाकर्मियों की आवश्यकता भूतपूर्व सैनिकों द्वारा पूरी की जाती है। यद्यपि वर्तमान में 28 स्थानीय सुरक्षा गार्ड भी कार्यरत हैं जिन्हें उनकी योग्यता एवं प्लाण्ट की आवश्यकतानुसार लिया गया है।

प्र.9 श्री एस.डी. मीणा, जिला उपखण्ड अधिकारी (दीगोद) ने सी.एफ.सी.एल. के वार्षिक सी.एस.आर. बजट तथा परियोजना के बारे में जानकारी मांगी ?

उ.9 सी.एफ.सी.एल. के प्रतिनिधि ने बताया कि सी.एस.आर. गतिविधियों के लिए आवश्यकता का आकलन किया जाता है तथा इसके लिए कोई भी तय बजट निर्धारित नहीं किया

जाता है और ग्रामीण विकास कार्य के लिए बजट किसी भी प्रकार से कोई बाधा नहीं है । सी.एफ.सी.एल. विकास कार्य के बजट के लिए सदैव तत्पर रहता है। तत्पश्चात् उस कार्य को सी.एफ.सी.एल. द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। गत परियोजनाओं की विवरण सूची आवश्यकता होने पर उपलब्ध करायी जा सकती है।

इस पर मीटिंग के दौरान कोई ज्ञापन प्राप्त नही हुआ।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

पी.सी. पवन	**राजीव पारीक**
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,	क्षैत्रीय अधिकारी, रा.प्र.नि.म.
कोटा	कोटा।